

प्रेषक

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चण्डीगढ़ ।

सेवा में


हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
यादी क्र० ४३०५० टीए-हर-४टी/२०१०/१५५२
दिनांक २१/११/११

विषय: स्टाप गैप अर्रैजमेंट के तहत अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।
२- आपको सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिन कर्मचारियों ने एस०ए०एस०भाग-१ की परीक्षा पास की हुई है उन्हें स्टापगैप अर्रैजमेंट के तहत अपने ही वेतनमान में १००/-रु० विशेष वेतन प्रदान करते हुए अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । अतः यदि आपके कार्यालय का कोई कर्मचारी नीचे दी गई शर्तों को मंजूर करता हो तो वह अपनी आपशन इस विभाग को दिनांक ४-२-२०११ तक अवश्य भेज देवे:-

- 1-It is purely a stop gap arrangement and officials offered appointment will have no right to the post of SAS Section Officer (OB)
- 2-They can be reverted back to their parent Department on or prior to the availability of SAS qualified person or on any other administrative grounds.
- 3-They will not have any right/claim of regular/permanent appointment as SAS Section Officer and the pay scale and other benefit attached to the post.
- 4-In the matter of disciplinary action they will be strictly under the control of their parent Department. However, Director of Treasuries and Accounts Department shall have the right of recommendation for initiating disciplinary proceedings.
- 5-The appointment will not confer any right to the post of Section Officer towards pay, experience, seniority and probation etc.

कर्मचारी अपनी आपशन सीधे ही इस विभाग को भेज सकते हैं । इसके अतिरिक्त कर्मचारी यह भी प्रमाण पत्र देगा कि वह नियमित सरकारी कर्मचारी है तथा उसके विरुद्ध नियम ७/८ के अन्तर्गत चार्जशीट लम्बित नहीं है ।


संयुक्त निदेशक,
कृते: निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा चण्डीगढ़